तीसरी बात जो इसी कोऑर्डिनेशन से संबंध रखती है, वह यह है कि सेंटर और स्टेट्स का भी इकट्ठे होकर काम करना। हालांकि यह कहने में बहुत अच्छी बात है कि केन्द्र और राज्य इकट्ठे मिलकर काम करें, लेकिन मैं देखता हूं और मैं मानता हूं कि आजकल के परिवेश में यह बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब तक आप सेंट्रल और स्टेट को किसी तरीके से नजदीक नहीं ला पाएंगे तब तक ये जो हमारे अच्छे इरादे हैं वे सिर्फ इरादे ही रह जाएंगे।

महोदय, चौथी बात है राजनीति। बच्चों की परवरिश की एक बुनियादी जरूरत है शिक्षा और शिक्षा में स्कूल से लेकर कॉलेजों, यूनिवर्सिटी तक में राजनीति प्रवेश कर गई है। क्या आप हमारी शिक्षा नीति से, शिक्षा सिस्टम से राजनीति को निकाल सकते हैं? क्या आप स्टूडेंट्स यूनियन्स को बंद कर सकते हैं? क्या आप स्टूडेंट्स इलेक्शन्स को बंद कर सकते हैं? इनका जो असर पड़ रहा है, वह हमारे डवलपमेंट में बुरा असर डाल रहा है।

महोदय, यहां पर एक जिक्र हुआ था वार टॉयस, कम्प्युटर गेम के बारे में और सभी सदस्यों ने इस पर चिंता प्रकट की थी कि वार गेम्स और वार टॉयस किसी तरीके से बंद किए जाएं। वैसे यह कुदरत ही है कि आप अपने पोते को गुड़िया पकड़ा दें तो वह गुड़िया फेंक देता है। यह कुदरत की बात है। इसको आप बदल सकते हैं तो जरूर बदलने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सावधानी की बात कहना चाहता हूँ कि खेल-कूद में एक कंपटीटिव स्पिरिट तो आपको रखनी है। बार बार हमें यह सुनने में आया है कि जो हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं उनमें यह किलर स्पिरिट नहीं है। तो यह किलर स्पिरिट और वार टॉयस, इनके बीच में समन्वय करके आपको यह देखना पड़ेगा कि हां, जरूर हम यह वार टॉयस, वार गेम्स बंद करें, लेकिन खेल-कूद में हम पीछे न रह जाएं। यह हमारी बड़ी कमजोरी है, आपको इसमें देखना पड़ेगा।

महोदय, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे जो प्लान बनाए हैं, जो बिल पास किए हैं, इतने कमीशन बैठे हैं, पालिसीज बनी हैं, क्या उस पर आप कम्पलायन्स, उसके साथ उसको लागू करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? यह बात बार बार माननीय सदस्यों ने भी उठाई है। यह आपने बहुत अच्छी तजवीज पेश की है, लेकिन जब तक इसको लागू करने की हिम्मत नहीं रखेंगे तब तक मेरे ख्याल से आप कामयाब नहीं होंगे।

ये जो मेरे विचार थे, वे मैंने यहां प्रकट किए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Before proceeding to the next Speaker, as per the business list for the day, we will have the Supplementary Demands for Grants, 2003-04.

Supplementary Demands for Grants (General) 2003-04

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL) : I beg to lay on the Table a statement (in

English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2003-04 (December 2003).

Motion on National Charter for Children, 2003 - Contd.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मान्यवर मंत्री जी ने माननीय सदन में यह जो राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 प्रस्तुत किया है और इस पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप जिसके अंतर्गत कई धाराओं के माध्यम से, जो उसमें अध्याय 3 और 4 हैं उसके माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टि से, चतुर्दिक विकास की दृष्टि से बातें कही गई हैं। उन बातों को ध्यान में रखकर जिस तरीके से बाल मनोविज्ञान के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रही है और जिसके परिणामस्वरूप जितने भी सम्मानित सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किए, उसमें आज के यथार्थ को उन्होंने इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया है। आज का यथार्थ यह है कि लगभग 16 करोड़ बालकों में से अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और आज भी वे अपना जीवन यापन अर्जन करने के लिए स्वयं कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, आज भी जो काफी संख्या में उत्पीड़न के शिकार हैं। ऐसे दुधमुंहे बच्चे, जिनको खेलने और पढ़ने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए, वह अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जिसके परिणामस्वरूप ही कल से यहां इस सदन में चर्चा हो रही है, उसके सार का चित्रण किया गया है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से। मैं माननीय जोशी जी से, जो हमारे सम्मानित नेता भी हैं और जो एच0आर0डी0 विभाग भी देखते हैं, इलाहाबाद की ही एक घटना का उद्धरण करना चाहूंगा। नैनी में एक घटना अभी 30 नवम्बर को घटित हुई है। उस घटना के अंतर्गत दो बच्चे पढ़ने जा रहे थे, कक्षा 5 या 6 के छात्र थे, जिनको कुछ लोगों ने एक चोरी के इल्ज़ाम में जबर्दस्ती पकड़ा, जो चोरी उन्होंने नहीं की थी और पुलिस ने ले जाकर थाने में जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समाचार पत्रों में यहां तक वर्णन आया है कि उनके गुप्तांग में पैट्रोल डालकर उनको कष्ट दिया गया और इस तरह से पीटा गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीन बच्चे बाहर निकलकर आए, उनको धमकी दी गई कि अगर किसी को बताओगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसी घटनाएं आज रोज हो रही हैं। यह बात सही है कि संविधान की मंशा के अंतर्गत यह जरूर कहा गया है कि बच्चों का, सुकुमार आयु का, शोषण न किया जाए तथा नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश न किया जाए जो उनके स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के प्रतिकूल हो, संविधान की धारा 39(9) के अंतर्गत यह कहा गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सारी चीजें हुई हैं। आज यह यथार्थ स्वरूप कई स्थानों पर दिखाई पड़ रहा है।

सारी चीजों का वर्णन किया गया लेकिन एक जो खतरनाक चीज़ है - बालक तस्करी, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बालकों की तस्करी बड़ी तेज़ी से की जा रही है। बालकों और बालिकाओं की तस्करी करके दूसरे देशों में ले जाना, उनका उत्पीड़न करना, यह बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इसको रोकने की दिशा में क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, इसे देखने की आवश्यकता है।